Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Jamabandi Sudhar Revision No.- 46/2017

Ram Ganesh Yadav & Ors .... Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors .... Opposite Parties.

Web Copy Not Official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	03.11.2023	**आदेश** प्रस्तुत जमाबंदी सुधार पुनरीक्षण वाद न्यायालय, समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा जमाबंदी सुधार अपील वाद सं0–191/2015–16 में दिनांक–23.08.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि थाना–मनिहारी, थाना सं0–247, मौजा–मिरजापुर, खाता सं0–65, खेसरा सं0–20, 21 एवं 22 , रकवा क्रमशः 0.88 एकड़, 8.44 एकड़, 1.25 एकड़ कुल रकवा–10.57 तथा खेसरा सं0–39, रकवा–9.00 एकड़ विवादित भूमि है। जो आवेदक की पैतृक संपत्ति थी एवं बहुत पूर्व से ये दखलकार होकर खेती–बाड़ी करते चले आ रहे थे। आर0एस0 सर्वे के दौरान प्रश्नगत भूमि गंगशिकस्त हो जाने के कारण बिहार सरकार के नाम खतियान दर्ज हो गया । वर्ष 1971 में उक्त भूमि गंगा से बाहर होने के उपरांत इनके द्वारा सीमांकन कराते हुए उक्त भूमि पर खेती–बाड़ी पुनः प्रारंभ की गई। आवेदकगण उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखलकार रहते हुए B.T. Act की धारा–52(A) के अंतर्गत जमाबंदी के पूर्णसृजन हेतु राजस्व प्राधिकार के समक्ष आवेदन दिया गया। उक्त आवेदन के आलोक में वाद सं0–Re-Storation Case No. 1099/1972-73 एवं वाद सं0–469/1986–87 संधारित करते हुए राजस्व पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि की विस्तृत जाँचोपरांत इनके पक्ष में जमाबंदी सं0–85 एवं 94 दर्ज की गई। प्रश्नगत भूमि के पुर्नवापसी पश्चात् इनके द्वारा बिहार सरकार को अद्यतन भू–लगान भुगतान किया जाता रहा एवं उसपर शांतिपूर्ण दखलकार रहे। विपक्षी सं0–02 द्वारा जाली दस्तावेजों के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मनिहारी के समक्ष बी0एल0डी0आर0 वाद सं0–106/2012–13 दायर किया गया जिसमें अंचलाधिकारी, मनिहारी के प्रतिवेदन एवं इनके द्वारा वर्ष 2011–12 तक का भू–लगान समर्पित करने के आधार पर दिनांक–02.04.2013 को आदेश पारित करते हुए विपक्षी के दावे को खारिज किया गया एवं इसके विचारण हेतु सक्षम न्यायालय का सुझाव दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी सं0–02 के	

		द्वारा कभी भी किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गई। पुनः विपक्षी सं0–02 के द्वारा अपर समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष इनके विरूद्ध जमाबंदी सुधार वाद सं0–462/13 दायर किया गया जिसमें अपर समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा क्रमशः	
	लगातार 03.11.2023	उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए एवं दस्तावेजों के आधार पर आवेदक के पक्ष में सृजित जमाबंदी को वैध करार देते हुए विपक्षी के वाद को अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी के द्वारा निम्न न्यायालय में अपील सं0–191/2015–16 दायर किया गया। जिसमें समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा मनमाने ढ़ंग से अपर समाहर्त्ता, कटिहार के आदेश को निरस्त करते हुए आवेदक के पक्ष में सृजित जमाबंदी को रद्द करते हुए उक्त भूमि बिहार सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया जो विधि विरूद्ध है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। निम्न न्यायालय द्वारा अंचलाधिकारी, मनिहारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मनिहारी द्वारा उक्त वर्णित BLDR वाद में पारित आदेश की अनदेखी करते हुए आवेदक के पक्ष में सृजित जमाबंदी को रद्द करने का आदेश पारित किया जाना B.T. Act की धारा–52(A) में निर्णित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है। उल्लेखनीय है कि B.T. Act की धारा–52(A) में पारित आदेश जबतक किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा निरस्त नहीं हो जाता है तबतक आवेदक की जमाबंदी वैध एवं नियमानुकूल है। आवेदक के पक्ष में 42 वर्षों से सृजित जमाबंदी को मनमाने ढ़ंग से रद्द नहीं किया जा सकता है। निम्न न्यायालय आदेश विधि के दृष्टि में पोषणीय नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण आवेदन स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ विपक्षी सं0–02 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। आवेदक का दावा है कि B.T. Act की धारा–52(A) के अंतर्गत दायर भू–वावसी वाद सं0–1099/1972–73 एवं 469/1986–87 द्वारा उनके पक्ष में प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी सं0–85 एवं 94 दर्ज है। किन्तु समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा दिनांक–23.08.2016 को आदेश पारित करते हुए आवेदक के पक्ष में सृजित जमाबंदी को रद्द करना अवैध एवं गलत है। इनके द्वारा अपर समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष जमाबंदी सुधार वाद सं0–462/13 में आवेदक द्वारा अंचल अमला को मेल में लेकर गलत जमाबंदी हासिल की गई। अपर समाहर्त्ता द्वारा इनके वाद को अस्वीकृत कर दिया गया। इनके द्वारा भू–पुर्नवापसी वाद सं0–1099/1972–73 एवं 469/1986–87 के संबंध में अंचलाधिकारी, मनिहारी से सूचना के अधिकार अंतर्गत माँगी गई सूचना के आलोक में इन्हें सूचित किया गया कि उक्त अभिलेख अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है जो संभवतः बाढ़ में नष्ट हो गया है। इस तरह आवेदक का दावा निराधार है और उनके द्वारा अंचल कार्यालय को मेल में लेकर झूठा भू–लगान प्राप्त किया गया है। समाहर्त्ता द्वारा आवेदक	

Web Copy. Not Official.

		के पक्ष में सृजित जमाबंदी सं0–85 एवं 94 को रद्द किया जाना सही है क्योंकि उक्त भूमि बिहार सरकार की है। आम जनता के आवेदन पर गंगशिकस्त भूमि की जमाबंदी को निलंबित रखने का अनुरोध किया गया था, जिसमें रैयत के रूप में आवेदक का नाम दर्ज नहीं था। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को भू–पुर्नवापसी का कोई अधिकार नहीं था। उल्लेखनीय है कि लगान माफी अभिलेख सं0–1313/1983–84 जो अपर आयुक्त के समक्ष विपक्षी द्वारा सूचना दी गई है। इसके बावजूद भी अपर समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा वाद अस्वीकृत कर क्रमशः दिया गया जो सही नहीं है। प्रश्नगत भूमि के चारों तरफ विपक्षी की भूमि है और उक्त भूमि भी R.S. के पूर्व से इनकी है। आवेदक द्वारा गलत रसीद के आधार पर दावा किया जा रहा है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गई है।	
	<u>लगातार</u> 03.11.2023	उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि के गंगबरार होने के पश्चात् पुर्नवापसी वाद सं0–1099/1972–73 एवं 469/1986–87 द्वारा पुर्नवापसी होकर उन्हें प्राप्त होने के आधार पर दावा किया जा रहा है। निम्न न्यायालय एवं इस न्यायालय में आवेदक द्वारा वर्णित पुर्नवापसी अभिलेख के आधार पर जमाबंदी कायम होने का कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय ने पाया है कि आवेदक के पक्ष में गलत ढ़ंग से जमाबंदी कायम कराया गया है। समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा प्रस्तुत मामले की सम्यक् एवं विस्तृत विवेचना करते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित पाते हुए संपुष्ट किया जाता है। पुनरीक्षण वाद अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy Not Official.

Web Copy. Not Official.